SUNCITY

anantam

THE HI-TECH CITY • VRINDAVAN

आवेदन प्रपत्र

सर्व मंगलम् भवन्तु

आवेदन प्रपत्र

आवेदन–पत्र सं. _______________

मै0 सनसिटी हाई–टेक प्रोजैक्ट्स प्रा. लि.
कार्पोरेट कार्यालयः सनसिटी बिज़नेस टॉवर,
द्वितीय तल, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर–54,
गुरूग्राम -122002, हरियाणा.
पंजी. कार्यालयः एलजीएफ–10, वसंत स्कवायर,
प्लाट–ए, सेक्टर- बी., पॉकेट-V, सामुदायिक केंद्र,
वसन्त कुंज, नई दिल्ली–110070 (भारत)
टोल फ्री नंबर : 1800 120 2016   Email : info@suncityprojects.com

"सनसिटी अनंतम"
एनएच-2, मथुरा

प्रिय महोदय,

मैं/हम (''आवेदक'') एतद्द्वारा पुलिस थाना–जैत, तहसील और जिला मथुरा, में राष्ट्रीय राजमार्ग–2 पर स्थित आपके **''सनसिटी अनंतम''** नामक हाई–टेक टाउनशिप प्रोजैक्ट्स, राष्ट्रीय राजमार्ग–2, वृंदावन, मथुरा (यहां इसके बाद **''प्रोजैक्ट्स''** के तौर पर संदर्भित), जिसे मैसर्स सनसिटी हाई–टेक प्रोजैक्ट्स प्रा. लि. (यहां इसके बाद **''कंपनी''** के तौर पर संदर्भित) द्वारा विभिन्न चरणों में विकसित किया जाना है, में एक प्लॉट/विला/फ्लोर/शॉप/कार्यालय स्थान/कामर्शियल प्लाट/समुदाय स्थान/सुविधा (नीचे दिये गये विवरणानुसार और यहां इसके बाद ''**यूनिट**'' के तौर पर संदर्भित) के अनंतिम आबंटन के लिये आवेदन करना चाहता हूं/चाहते हैं।

मैंने/हमने इस आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारंभिक शर्तों एवं निबंधन को पढ़ लिया है और इनके पालन की सहमति /वचन देता हूं/देते हैं, और विक्रय समझौता, कंपनी द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, हस्ताक्षरित और निष्पादित करने की भी सहमति और वचन देता हूं/देते हैं, जिसका नमूना उपलब्ध करवाया गया है और उसकी विषयवस्तु मैंने/हमने पढ़ और समझ ली है तथा मैं/हम इनके अनुपालन की सहमति/वचन देता हूं/देते हैं। और आगे जब कभी भी कंपनी द्वारा अपेक्षित होगा, कंपनी के मानदंडों के अनुरूप कोई भी अन्य अपेक्षित दस्तावेज (ों) हस्ताक्षर और निष्पादन करने की सहमति और वचन देता हूं/देते हैं।
मैं/हम एतद्द्वारा यूनिट के अनंतिम आबंटन के लिये पंजीकरण/आवेदन राशि के तौर...से जारी......................................चैक संख्या/ डिमांड ड्राफट .... दिनांक द्वारा रू.....................................(रूपये..) की कुल जारी प्रस्तुत करता हूं/करते हैं। मैं/हम यूनिट के अनंतिम आबंटन होने पर समय–समय पर कंपनी द्वारा सूचित और मांगे जाने/कहे जाने के अनुरूप आगे किस्तों का भुगतान करने का भी वचन देता हूं/देते हैं।
मैंने/हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि यह आवेदन–पत्र एक विक्रय समझौता/अनुबंध नहीं हो जाता है और मैं/हम इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी इस आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत की गई राशि की पावती जारी कर सकती है, अनंतिम और/अथवा अंतिम आबंटन का हकदार नहीं हो जाऊंगा/जायेंगे। यह अंतिम आबंटन मेरे/हमारे समझौता हस्ताक्षरित और निष्पादित किये जाने पर ही होगा। लेकिन, यदि, मैं/हम इस आवेदन–पत्र को वापस लेते हैं/रद्द करते हैं अथवा मैं/हम कंपनी द्वारा प्रेषण के तीस (30) दिनों के भीतर समझौते को हस्ताक्षर/निष्पादित नहीं करते हैं और लौटाते हैं तो मेरा/हमारा आवेदन–पत्र रद्द समझा जा सकता है और मेरे/हमारे द्वारा आवेदन प्रपत्र में भुगतान की गई धरोहर राशि/बुकिंग राशि जब्त कर ली जायेगी।

मैं/हम आगे भुगतान योजना के अनुरूप (मेरे/हमारे द्वारा चुनी गई), जैसा कि मूल्य सूची में दर्शाया गया है और/अथवा कंपनी द्वारा निर्धारित/मांगी गई है, किस्तों और अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान करने की सहमति देता हूं/देते हैं, इसमें असफल रहने पर आबंटन रद्द कर दिया जायेगा और धरोहर राशि, साथ में ब्याज, यदि कोई देय है, कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जायेगा। मेरे/हमारे विवरण यहां नीचे उपलब्ध करवाये गये हैं:–

नोटः यह आवेदन–प्रपत्र साफ अक्षरों में पूर्णरूपेण पूरा किया जाना चाहिये। आवेदन प्रपत्र, जो कि यहां नीचे दिये अनुसार, हर प्रकार से पूर्ण किया गया नहीं होगा तो नामंजूर किया जा सकता है। कोई भी कांटछांट किया हुआ/ओवरराइटिंग वाला आवेदन प्रपत्र, जिसे आवेदक (ों) ने साक्ष्यांकित नहीं किया है, नामंजूर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आवेदक बिना किसी ब्याज के केवल मूल धन की वापसी के लिये पात्र होगा।

1. **प्रथम/एकमात्र आवेदक :**

Affix
Latest Passport
Size Photograph

श्री/श्रीमती/कु.: ____________________

के जरिये (यदि लागू है) श्री/सुश्री : ____________________

पिता/पति का नाम: ____________________

जन्म तिथि: ____________ व्यवसाय: ____________________

पता (कार्यालय): ____________________

पता (स्थाई निवास): ____________________

पत्राचार के लिये पता: ____________________

टेलीफोन (का.): ____________ (नि.) ____________ मोबाईल ____________

आयकर स्थाई खाता संख्याः (पैन नंबर) ____________________

पासपोर्ट/आधार नं. (यदि कोई है) ____________________

ई–मेल आईडी: ____________________ फैक्स: ____________________

बैंक का नाम: ____________________ खाता संख्या: ____________________

आवासीय स्थिति: निवासी भारतीय ☐ अनिवासी भारतीय ☐ भारतीय मूल के व्यक्ति ☐

____________________ ____________________

आवेदक (ों) के हस्ताक्षर

2.. **द्वितीय आवेदक**

Affix
Latest Passport
Size Photograph

श्री/श्रीमती/कु.:______________________

के जरिये (यदि लागू है) श्री/सुश्री :______________________

पिता/पति का नाम : ______________________

जन्म तिथि: ____________ व्यवसाय: ______________________

पता (कार्यालय): ______________________

पता (स्थाई निवास): ______________________

पत्राचार के लिये पता ______________________

टेलीफोन (का.): ____________ (नि.) ____________ मोबाईल ______________________

आयकर स्थाई खाता संख्याः (पैन नंबर:)______________________

पासपोर्ट/आधार नं. (यदि कोई है) ______________________

ई–मेल आईडी: ______________________फैक्स : ______________________

बैंक का नामः______________________ खाता संख्याः______________________

आवासीय स्थिति: निवासी भारतीय [ ] अनिवासी भारतीय [ ] भारतीय मूल के व्यक्ति [ ]

नोटः दो से अधिक संयुक्त आवेदकों के मामले सभी शेष आवेदकों का समान विवरण संलग्न किया जाना है।

बुकिंग के विवरण

1. **क) आवेदित यूनिट का विवरण:**

(I) अपेक्षित यूनिट का प्रकार: ______________________

(ii) फेस : ______________________

(iii) श्रेणी: ______________________

(iv) अपेक्षित क्षेत्र ____________ वर्ग गज/वर्ग फुट [यथा लागू टिक करें] अथवा ____________सुपर एरिया का वर्ग मीटर (अनुमानित), निर्मित विला/तल/फ्लैट/शॉप/कार्यालय स्थान के मामले में लागू

(v) **लागत:**

क. बेसिक बिक्री मूल्यः रू ………..……………………./-
(रूपय………………………………………………………………………………………मात्र)
सुपर एरिया का प्रति वर्ग गज/वर्ग फुट [**यथा लागू टिक करें**], निर्मित विला/तल/फ्लैट/शॉप/कार्यालय स्थान आदि के मामले में लागू;

ख. वरीयतन स्थान प्रभार : भुगतान योजना के अनुरूप;

ग. नगर विकास प्रभार : जो लागू होगा कम्पनी द्वारा मांग पर देय होगा। ;

घ. भूमि उपयोग प्रभारों में बदलाव : जो लागू होगा कम्पनी द्वारा मांग पर देय होगा। ;

ड़. अनुरक्षण प्रभार : जो लागू होगा कम्पनी द्वारा मांग पर देय होगा। ;

च. ब्याज मुक्त अनुरक्षण सिक्यूरिटी : जो लागू होगा कम्पनी द्वारा मांग पर देय होगा। ;

छ. सुविधा कनेक्शन प्रभार (बिजली, पानी, सीवर इत्यादि) : जो लागू होगा कम्पनी द्वारा मांग पर देय होगा। ;

नोट: धरोहर राशि में यूनिट के बेसिक बिक्री मूल्य का 15% और सेवा कर, वैट, अथवा कोई भी अन्य उपकर, कर, मूल्यांकन, विकास प्रभार, वरीयतन स्थान प्रभार, प्रभार और कार पार्किंग प्रभार अथवा यूनिट पर यथा लागू कोई अन्य प्रभार, स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, आदि वर्तमान में लगाये गये हैं अथवा भविष्य में लगाये जायेंगे, उक्त लागत के अलावा होंगे जिसका मेरे/हमारे से, जब भी कंपनी मांग करेगी, वहन और भुगतान किया जायेगा।

(ख) **भुगतान योजना:** **अग्रिम भुगतान [ ]** **समयबद्ध भुगतान [ ]** **(जो लागू है कृपया उसे √ करें)**

____

*** मैंने ऊपर वर्णित दर को स्वीकार कर लिया है [आवेदक(ों) के हस्ताक्षर]**

2. एजेंट/डीलर, यदि कोई है, के विवरण

नाम:______________________

पता: ______________________

पासपोर्ट/आधार नं. (यदि कोई है) ______________________

आयकर स्थाई खाता संख्याः (पैन नंबर)______________________

ई–मेल आईडी: ______________________फैक्स : ______________________

टेलीफोन (का.):____________ मोबाईल ______________________

______________ ______________

आवेदक (ों) के हस्ताक्षर

3. यह आवेदन पत्र और अनंतिम आबंटन तथा आगे आबंटन की पुष्टि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के लागू अधिनियमों / कानूनों / नियमों / विनियमों के अनुरूप होगी।

मैं / हम उपर्युक्त आवेदक एतद्द्वारा घोषणा करता हूं / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा ऊपर दिये गये विवरण सत्य एवं सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। इस आवेदन–पत्र के तहत आबंटन इस आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न और आबंटन पत्र / समझौते की शर्तों एवं निबंधन के विषयाधीन है और ये शर्तें तथ्यात्मक–कार्योत्तर मेरे / हमारे कानूनी वारिश (ों), उत्तराधिकारी (यों) और नामांकित व्यक्ति (यों) पर लागू होंगी। मैं / हम मेरे / हमारे नाम में बुक की गई संपत्ति के पंजीकृत होने तक, ऊपर दिये गये मेरे / हमारे पते में अथवा किसी अन्य विवरण / सूचना में कोई परिवर्तन की सूचना दिये जाने का वचन देता हूं / देते हैं, इसमें असफल रहने पर विवरणों को सही समझा जायेगा और कंपनी द्वारा दर्ज़ पते पर भेजे गये पत्रों को मेरे / हमारे द्वारा प्राप्त किया गया समझा जायेगा।

1__________________________	1__________________________
2._________________________	2._________________________
आवेदक का नाम	**आवेदक के हस्ताक्षर**

टिप्पणी:

(I) **सभी चैक / डिमांड ड्राफ्ट केवल गुरूग्राम / नई दिल्ली में देय " सनसिटी अनंतम " के पक्ष में बनाये जाने हैं।**

(ii) किसी अन्य व्यक्ति / फर्म / कंपनी की ओर से आवेदन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति उचित अधिकार–पत्र / पावर ऑफ अटार्नी दायर करेंगे।

1__________________________	1__________________________
2._________________________	2._________________________
आवेदक का नाम	**आवेदक के हस्ताक्षर**
गवाह:1. ___________________	**2.** ______________________

स्थान ....

तिथि ....

अपेक्षित दस्तावेज (जांच सूची)

क. बुकिंग राशि, चैकों/डिमांड ड्राफ्टों के रूप में ;

ख. आवेदन प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर ग्राहक के हस्ताक्षर;

ग. पैन कार्ड/फार्म 60, पते और पहचान पत्र की स्वयं–सत्यापित प्रति;

घ. कंपनियों के लियेः स्वयं सत्यापित संगम ज्ञापन और बोर्ड संकल्प;

ड़. साझेदारी के लियेः साझेदारी समझौते की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के साथ सभी साझेदारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र;

च. एनआरआई के लियेः पासपोर्ट की प्रति और एनआरई/एनआरओ खाते के जरिये भुगतान;

छ. पीआईओ के लियेः पासपोर्ट, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड और एनआरई/एनआरओ खाते के जरिये भुगतान की प्रति

झ मूल्य सूची सह भुगतान योजना की हस्ताक्षरित प्रति

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

1. आवेदन–पत्र: स्वीकृत [ ] अस्वीकृत [ ]
अस्वीकृति के लिये कारण: ____________________

2. आबंटित यूनिट का विवरण:
यूनिट नं.. ...., फेस .... श्रेणी: ....
क्षेत्र .... वर्ग गज/वर्ग फुट [**यथा लागू टिक करें**] सुपर एरिया, निर्मित विला/तल/फ्लैट/शॉप/कार्यालय स्थान आदि के मामले में यथा लागू

3. **लागत:**

क. बेसिक बिक्री मूल्यः रू ..../-
(रूपय...मात्र)
सुपर एरिया का प्रति वर्ग गज/वर्ग फुट [यथा लागू टिक करें], निर्मित विला/तल/फ्लैट/शॉप/कार्यालय स्थान आदि के मामले में लागू;

ख. वरीयतन स्थान प्रभार : भुगतान योजना के अनुरूप;

ग. नगर विकास प्रभार : जो लागू होगा कम्पनी द्वारा मांग पर देय होगा। ;

घ. भूमि उपयोग प्रभारों में बदलाव : जो लागू होगा कम्पनी द्वारा मांग पर देय होगा। ;

ड़. अनुरक्षण प्रभार : जो लागू होगा कम्पनी द्वारा मांग पर देय होगा। ;

च. ब्याज मुक्त अनुरक्षण सिक्यूरिटी : जो लागू होगा कम्पनी द्वारा मांग पर देय होगा। ;

छ. सुविधा कनेक्शन प्रभार : जो लागू होगा कम्पनी द्वारा मांग पर देय होगा। ;
(बिजली, पानी, सीवर इत्यादि) वसूली जायेगा और).

नोट: धरोहर राशि में यूनिट के बेसिक बिक्री मूल्य का 15% और सेवा कर, वैट, अथवा कोई भी अन्य उपकर, कर, मूल्यांकन, विकास प्रभार, वरीयतन स्थान प्रभार, क्लब सदस्यता प्रभार और कार पार्किंग प्रभार अथवा यूनिट पर यथा लागू कोई अन्य प्रभार, स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, आदि वर्तमान में लगाये गये हैं अथवा भविष्य में लगाये जायेंगे, उक्त लागत के अलावा होंगे जिसका मेरे/हमारे द्वारा, जब भी कंपनी मांग करेगी, वहन और भुगतान किया जायेगा।

4. **भुगतान योजना:** **अग्रिम भुगतान** [ ] **समयबद्ध भुगतान** [ ] **(जो लागू है कृपया उसे √ करें)**

5. **आवेदन के समय प्राप्त राशि रू ..../-** (रूपये.. मात्र),
हमारी रसीद संख्या............................दिनांक...................................के तहत देय .... नई दिल्ली/गुरूग्राम में बैंक से जारी बैक ड्राफ्ट/चैक नं.............................
दिनांक ....

6. **बुकिंग की पद्धति:** सीधे ☐ एजेंट ☐

एजेंट का नाम और मोहर: ....

7. टिप्पणी: ....

दिनांक: .... अधिकृत हस्ताक्षरी: ....

स्थान: .... नाम: ....

पदनाम: ....

आवेदक (ों) के हस्ताक्षर

भुगतान योजना

आवेदक (ों) के हस्ताक्षर

आबंटन के लिये आधारभूत शर्तें एवं निबंधन

1. ये उपरोक्त इकाई के कंपनी द्वारा आवेदक (ों) को अनंतिम आबंटन को शासित करने वाली प्रारंभिक मानक निबंधन एवं शर्तें हैं। इन मानक शर्तों एवं निबंधन स्वीकार किये जाने मात्र से आवेदक (ों)/आबंटी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उपरोक्त यूनिट को लेकर कोई अधिकार, स्वत्व और हित का कोई अधिकार नहीं हो जाता है।

2. आवेदन–पत्र के आधार पर उपरोक्त यूनिट का अनंतिम आबंटन पूर्णतः कंपनी के विवेक पर है और कंपनी के पास बिना कोई कारण बताये किसी भी आवेदन–पत्र को नामंजूर करने का अधिकार है।

3. आवेदक (ों) ने यूनिट के आबंटन के लिये पूर्ण ज्ञान और सामान्य तौर पर परियोजना के लिये लागू सभी कानूनों/अधिसूचनाओं और नियमों के विषयाधीन आवेदन किया है जिनके बारे में कंपनी द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है और आवेदक (ों) ने इसे समझ लिया है।

4. आवेदक (ों) ने प्रोजैक्ट भूमि में कंपनी के हित और अधिकार के बारे में स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट कर लिया है और इसके संबंध में दायित्वों को समझ लिया है और इस संबंध में आवेदक द्वारा और अधिक जांच अपेक्षित नहीं होगी।

5. आवेदक ने योजनाओं, डिज़ाइन, विशिष्टताओं को देख/पढ़ और स्वीकार कर लिया है जो कि अनंतिम हैं तथा कंपनी के कार्यालय में रखी हैं तथा यह सहमति दी है कि कंपनी इनमें ऐसी भिन्नता, परिवर्तन, परिवर्धन, विलोपन, संशोधन कर सकती है जो कि वह उपयुक्त और योग्य समझती है अथवा जिसे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है और आवेदक एतदद्वारा ऐसी भिन्नता, परिवर्तन, परिवर्धन, विलोपन, संशोधन की सहमति प्रदान करता है। आवेदक ऐसी भिन्नता, परिवर्तन, परिवर्धन, विलोपन, संशोधन के लिये, यदि अपेक्षित होता है, कंपनी द्वारा पत्र भेजने के 15 दिनों के भीतर विनिर्दिष्ट लिखित सहमति भी दे सकता है। और आवेदक के विनिर्दिष्ट लिखित सहमति प्रदान करने में विफल रहने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि आवेदक ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

6. कंपनी के पास लेआउट प्लान में, जब भी आवश्यक होगा, उपयुक्त और आवश्यक बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित होगा, जिनमें, नामतः यूनिट की स्थिति में बदलाव, इसके नंबर में बदलाव, परिमाण, ऊंचाई, एरिया लेआउट अथवा समूची योजना में बदलाव, सभी अथवा कोई भी परिवर्तन करना शामिल हो सकता है।

7. आवेदक उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार भुगतान योजना के अनुरूप (अग्रिम भुगतान/समयबद्ध भुगतान योजना) यूनिट के कुल बेसिक बिक्री मूल्य और कंपनी द्वारा लगाये और सूचित किये गये प्रतिस्थापन प्रभारों सहित अन्य प्रभारों का भुगतान करने के लिये सहमत हैं।

8. आवेदक कंपनी की पूर्व अनुमति के बिना अपने स्थान पर अपने नामांकित व्यक्ति के नाम को प्रतिस्थापित करने का हकदार नहीं होगा, जो कि अपने पूर्ण विवेकानुसार ऐसी शर्तों के अधीन है जो कि उपयुक्त और कानूनन अनुमतेय हैं, अनुमति प्रदान कर सकती है।

9. आवेदक सहमति देता है कि वह सुपर एरिया के आधार पर अर्थात समानुपातिक संयुक्त क्षेत्र सहित कवर्ड एरिया (निर्मित विला/फ्लोर/फ्लैट/शाप/कार्यालय स्थान के लिये लागू) के आधार पर यूनिट के मूल्य और कंपनी द्वारा जब भी मांग की जायेगी अन्य सभी प्रभारों का भुगतान कर देगा। मैं/हम केवल नई दिल्ली/गुरुग्राम में देय और तैयार किये गये डिमांड ड्राफ्ट/चैकों के जरिये सभी भुगतान करने की भी सहमति देते हैं।

10. कंपनी और आवेदक एतद्द्वारा सहमत हैं कि आवेदन–पत्र के साथ बुकिंग के लिये और किस्तों में किये गये भुगतान की राशि, जो भी मामला हो, यूनिट के मूलभूत बिक्री मूल्य का 15 प्रतिशत तक, संयुक्त रूप से मिलाकर धरोहर राशि होगा। यह धरोहर राशि शर्तों एवं निबंधन और आबंटन पत्र/समझौते को पूरा नहीं किये जाने के मामले में और आवेदक (ों) के कंपनी द्वारा अनुमतेय समय के भीतर आबंटन पत्र/समझौते पर हस्ताक्षर करने में असफल रहने पर भी जब्त हो जायेगी।

11. आवेदक, जो अनिवासी भारतीय श्रेणी के हैं अथवा विदेशी नागरिक हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और/अथवा इस ट्रांजैक्शन को शासित करने वाले किसी भी अन्य विधिक प्रावधानों में निर्धारित आवश्यक औपचारिकाताओं के अनुपालन के लिये पूर्णरूपेण ज़िम्मेदार होंगे, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ भारत में भुगतानों/प्रतिफल का भुगतान जमा करना और अचल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण शामिल है। यदि किसी भी सांविधिक प्राधिकारी/कंपनी द्वारा कभी भी ऐसी अनुमति से इन्कार किया जाता है अथवा बाद में इसमें कोई कमी पाई जाती है, बुकिंग के तौर पर भुगतान की गई राशि और आगे प्रतिफल को कंपनी द्वारा लागू नियमानुसार बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा और आबंटन को तत्काल रद्द कर दिया जायेगा। आवेदक सहमत है कि ऐसे मामले में कंपनी की किसी भी प्रकार से कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

12. किस्तों का समय पर भुगतान अनंतिम/अंतिम आबंटन का हिस्सा होगा। आवेदक के लिये भुगतान की शर्तों और आबंटन की अन्य शर्तों एवं निबंधन का अनुपालन करना अनिवार्यता होगी, ऐसा न करने पर आवेदक को भुगतान में देरी के पहले 30 दिनों के लिये 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से और इसके बाद भुगतान में 60 दिनों तक की देरी के लिये 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा और यदि देरी जारी रहती है, तो कंपनी के पास आबंटन को रद्द करने और धरोहर जमा राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित है, यद्यपि, कंपनी यथा लागू, दंडात्मक प्रभारों के साथ, कंपनी के विवेकानुसार, आगे की देरी को माफ कर सकती है।

13. यदि आवेदक उक्त यूनिट की ख़रीद में सुविधा के लिये अपने नियोक्ता अथवा वित्तीय संस्थान/एजेंसी से ऋण की सुविधा लेना चाहता है, कंपनी निम्नलिखित के विषयाधीन प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर सकती है।

   क. वित्तीय संस्थान/एजेंसी की शर्तें अकेले आवेदक (ों) के लिये विशिष्ट तौर पर बाध्यकारी और लागू होंगी।

   ख. ऋण की स्वीकृति प्राप्त करना और कंपनी की भुगतान अनुसूची के अनुरूप इसके वितरण की ज़िम्मेदारी पूर्णरूपेण आवेदक (ों) की होगी। प्रक्रिया संबंधी देरी सहित किसी भी कारण से, चाहे जो भी हो, ऋण मंजूर होने में देरी होने अथवा वितरण में देरी होने की स्थिति में कंपनी का भुगतान, निर्धारित अनुसूची के अनुसार, आवेदक (ों) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, इसमें असफल रहने पर आवेदक ऊपर उपबंध में वर्णित प्रावधानों से शासित होगा।

14. आवेदक द्वारा वित्तीय संस्थान/एजेंसी की देनदारियों में चूक के मामले में, आवेदक कंपनी को उक्त यूनिट का आबंटन रद्द करने और आवेदक को सूचना के अधीन वित्तीय संस्थान/एजेंसी से अनुरोध प्राप्त होने पर धरोहर राशि और देरी से किये गये भुगतान पर अर्जित ब्याज कटौती करने के उपरांत उस तिथि तक की राशि का भुगतान सीधे वित्तीय संस्थान/एजेंसी को करने के लिये अधिकृत करते हैं।

15. किस्तों के भुगतान में देरी के लिये यूनिट के रदद होने की स्थिति में कंपनी द्वारा आवेदक को जमा राशि का रिफंड धरोहर राशि की कटौती और देरी से किये गये भुगतानों पर अर्जित ब्याज, यदि कोई है, के समायोजन तथा उक्त यूनिट के पुनः आबंटन से प्राप्त जमाओं की प्राप्ति के उपरांत किया जायेगा। यदि किसी कारण से पुनःआबंटन अथवा ऐसे पुनःआबंटन से राशि की प्राप्ती में देरी होती है, तो आवेदक के रिफंड में भी तदनुसार देरी हो जायेगी, जिस पर ऐसी देरी के लिये ब्याज के तौर पर कोई दावा नहीं होगा।

16. आवेदक आबंटन की तिथि से भूमि और/अथवा बिल्डिंग पर, जो भी मामला हो, सभी करों, उप करों अथवा मूल्यांकनों, लगाये गये हैं अथवा भविष्य में लगाये जाने हैं, का कंपनी को प्रतिपूर्ति और मांगे जाने पर भुगतान करने के लिये सहमत हैं।

____________________ ____________________

आवेदक (ों) के हस्ताक्षर

17. आवेदक समझता है कि प्रोजैक्ट का विभिन्न चरणों में विकास किया जायेगा जिस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और विकास में विकासकर्ता के साथ सहयोग करने की सहमति देता है। और आगे यह जानता है कि विकास कार्य किस्तों के समय पर भुगतान से सीधे जुड़ा है।

18. कंपनी का आवेदक को समझौते के निष्पादन की तिथि अथवा सभी अनुमोदनों के साथ, जो भी बाद में हो, अप्रत्याशित घटनाक्रमों और भुगतान योजना के अनुसार सभी भुगतानों की समय पर प्राप्ति तथा बेसिक बिक्री मूल्य तथा अन्य देय प्रभारों और उनके लिये लागू भुगतान योजना के अनुसार कब्जे की तिथि तक देय राशियों का पूर्ण भुगतान किये जाने के विषयाधीन यूनिट का कब्जा प्रदान करने का प्रयास रहेगा। यदि यूनिट का कब्जा प्रदान करने में किसी अप्रत्याशित घटनाक्रमों / अप्रत्याशित स्थितियों के कारण देरी हो जाती है, कब्जे का समय ऐसे अत्याशित घटनाक्रमों / अप्रत्याशित स्थितियों की तत्स्थानी अवधि तक के लिये विस्तारित हो जायेगा।

19. उक्त इकाई का कब्जा लेने से पहले, आवेदक को कंपनी अथवा ऐसी अनुरक्षण एजेंसी के साथ, जिसे इस संबंध में पदनामित किया जाता है (**''पदनामित अनुरक्षण एजेंसी''**), फार्म और विषय–वस्तु में, और कंपनी द्वारा यथा निर्धारित अवधि के भीतर संयुक्त क्षेत्रों और संयुक्त सुविधाओं के अनुरक्षण के लिये एक अलग अनुरक्षण समझौता (**''अनुरक्षण समझौता''**) करना होगा। आवेदक आगे अनुरक्षण समझौते की शर्तों एवं निबंधन का पालन करने का वचन देता है।

उक्त अनुरक्षण समझौते का निष्पादन होने तक आवेदक एतद्द्वारा इस संबंध में समय–समय पर कंपनी अथवा पदनामित अनुरक्षण एजेंसी द्वारा यथा निर्णीत अनुरक्षण और रिप्लेसमेंट प्रभारों (**''अनुरक्षण प्रभारों''**) का भुगतान करने की सहमति देता है। उक्त अनुरक्षण समझौते का निष्पादन होने तक आवेदक एतद्द्वारा उक्त इकाई का कब्जा लेने से पूर्व, पुरे पाँच वर्ष के लिये एक बार में ''अनुरक्षण जमा'' और ''अनुरक्षण प्रभारों'' का भुगतान करने की सहमति प्रदान करता है।

20. उक्त यूनिट के अनुरक्षण की कब्जे की तिथि से अथवा कब्जे की देय तिथि से, जो भी पहले हो, पूर्णरूपेण आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

21. उत्तर प्रदेश सरकार की हाई–टैक टाउनशिप नीति के अनुरूप भूमि को नीति में अंतर्निहित बिना किसी लाभ अथवा रियायत के सीधे भू–स्वामियों से क्रय किया गया है।

22. आवेदक बुकिंग के समय कंपनी के साथ अपना पूर्ण पता दर्ज़ करायेंगे और भविष्य में अपने पते (ां)में सभी परिवर्तनों के बारे में, यदि कोई है, पंजीकृत ए / डी पत्र से कंपनी को सूचित करने की ज़िम्मेदारी उन्हीं की होगी, ऐसा करने में असफल रहने पर अंतिम दर्ज़ पते पर डाक से प्रेषित सभी डिमांड नोटिस और पत्र उस वक्त पर उनके द्वारा प्राप्त कर लिये माने जायेंगे जब कि वे ऐसे पते पर साधारणतः पहुंच जाने चाहिये और इसके कारण भुगतान में होने वाली किसी भी चूक तथा अन्य परिणामों को लेकर, जो हो सकते हैं, के लिये आवेदक ज़िम्मेदार होगा (ां). पते में किसी भी परिवर्तन के समर्थन में संगत दस्तावेजी सबूत देना होगा। सभी पत्राचार में बुक की गई संपत्ति के संदर्भ का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये।

23. जब तक कि कन्वेयन्स डीड / विक्रय पत्र निष्पादित और पंजीकृत नहीं हो जाती, कंपनी के पास सभी उद्देश्यों और इरादों के लिये उस यूनिट का स्वामित्व जारी रहेगा।

24. यूनिट का आबंटन यूनिट की उपलब्धता के विषयाधीन और कंपनी के विवेक पर किया जायेगा।

25. यहां इसमें यूनिट का मूल्य बुकिंग के समय सभी मूल्य के लिये अखिल भारतीय थोक विक्रय मूल्य सूचकांक पर आधारित है। हालांकि यदि डेवलपमेंट की प्रगति के दौरान, लागत में वृद्धि होती है, जो कि अखिल भारतीय थोक विक्रय मूल्य सूचकांक पर आधारित होगी, कंपनी द्वारा आकलित और आवेदक को सूचित ऐसी वृद्धि का उन्हे यूनिट के मूल्य के अतिरिक्त भुगतान करना होगा। वृद्धि की गणना आबंटन समझौते के वृद्धि उपबंध में किये गये उल्लेख के अनुसार की जायेगी। बढ़ी हुई राशि को कंपनी द्वारा आवेदक से एक या अधिक किस्तों में अथवा अलग से प्रभारित और वसूल किया जा सकता है।

26. आवेदक उक्त प्रोजेक्ट / यूनिट के लिये यथा लागू सभी कानूनों, नियमों और विनियमों अथवा कोई अन्य कानून की अनुपालना का वचन देते हैं।

27. कंपनी ने आवेदक को यह स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रोजैक्ट में भविष्य में कई वर्षों के लिये विभिन्न चरणों में सघन विकास / निर्माण गतिविधियां संचालित करेगी और प्रोजैक्ट में मौजूदा के साथ–साथ बिजली, पानी, सेनिटरी / ड्रेनेज सिस्टम्स आदि जैसी सुविधाओं को जोड़ने के लिये अतिरिक्त विकास / निर्माण को संचालित करेगी। आवेदक (ां) ने पुष्टि कर दी है कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है और वह असुविधा, यदि कोई है, के कारण, जो कि उपरोक्त परियोजना में ऐसी विकास / निर्माण गतिविधियां अथवा परिणामात्मक / संबंधित गतिविधियों के साथ–साथ सुविधाओं को जोड़ने / लिंक करने के कारण उसे हो सकती हैं, कोई आपत्ति अथवा कोई दावा नहीं करेगा अथवा कंपनी द्वारा मांगे जाने पर भुगतान में कोई चूक नहीं करेगा।

28. आवेदक यूनिट के बाहरी हिस्से में अथवा कहीं भी अथवा कॉमन क्षेत्रों में कोई नाम या साइन बोर्ड, नियॉन संकेत, प्रचार अथवा विज्ञापन सामग्री, कपड़े आदि नहीं लगायगा।

29. आवेदक विनिर्दिष्ट उपयोग के अलावा किसी अन्य गतिविधि के लिये परिसरों का इस्तेमाल नहीं करेगा।

30. संयुक्त इच्छुक आवेदकों के मामले में कंपनी द्वारा इच्छुक आवेदकों को सभी पत्राचार, उस आवेदक (ां) को भेजा जायेगा जिसका नाम पहले दर्शाया गया होगा और यह डाक पत्राचार के लिये दिये गये पते पर भेजा जायेगा और सभी उद्देश्यों के लिये सभी इच्छुक आवेदकों को यथा प्राप्त विचार में ले लिया जायेगा और अन्य नामों वाले इच्छुक आवेदकों के लिये अलग से कोई पत्राचार आवश्यक नहीं होगा। आवेदक कंपनी की इस शर्त से सहमत हैं।

31. कंपनी द्वारा इच्छुक संयुक्त आवेदक (ां) के मामले में सभी पत्राचार इच्छुक आवेदक (ां) को जिनका नाम पहले उल्लिखित है और उनके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषित किया जायेगा तथा इसे सभी उद्देश्यों के लिये सभी इच्छुक आवेदकों द्वारा प्राप्त किया गया माना जायेगा तथा और अन्य नामित आवेदकों के लिये अलग से कोई सूचना भेजना आवश्यक नहीं होगा।

आवेदक इस बात से सहमत हैं कि यूनिट का आबंटन अप्रत्याशित घटना उपबंध के विषयाधीन है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निर्माण सामग्रियों, अथवा जलापूर्ति या विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता अथवा स्लो डाऊन, हड़ताल अथवा कंपनी द्वारा नियुक्त निर्माण एजेंसी के साथ विवाद के कारण, जन विक्षोभ, अथवा युद्ध के कारण, अथवा दुश्मन की कार्रवाई अथवा भूकंप अथवा किसी प्राकृतिक घटना के कारण देरी होना, वैधानिक संस्था से कुछेक निर्णयों / स्पष्टीकरणों में देरी, अथवा अदालत / सरकार और / अथवा किसी अन्य सार्वजनिक अथवा सक्षम प्राधिकारी के किसी नोटिस, आदेश, नियमों अथवा अधिसूचना अथवा कंपनी के नियंत्रण से बाहर के किसी अन्य कारण से होने वाली देरी शामिल है, और उपरोक्त परिस्थिति में अप्रत्याशित घटनाक्रमों के कारण उक्त परिसरों का कब्जा प्रदान करने की अवधि में न्यायोचित तत्स्थानी विस्तार कर दिया जायेगा।

32. अनंतिम आबंटन अथवा अंतिम आबंटन से संबंधित कोई भी विवाद अथवा इसके कारण उत्पन्न मतभेद, जो कि कंपनी और आवेदक के भी उत्पन्न हो सकता है, इसे परस्पर सहमति से निपटाया जायेगा, ऐसा करने में विफलता के बाद मामले को कंपनी द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के निर्णय के लिये संदर्भित कर दिया जायेगा। मध्यस्था की कार्यवाही मध्यस्थता और पुनर्मिलान अधिनियम, 1996 के लागू नियमों और प्रावधानों के तहत शासित होंगी और मध्यस्थता का स्थान गुड़गांव होगा तथा मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

____________________ ____________________

आवेदक (ां) के हस्ताक्षर

33. इस ट्रांजेक्शन के कारण उत्पन्न कोई भी विवाद अथवा कानूनी कार्यवाही दिल्ली की अदालत के कार्याधिकार क्षेत्र के विषयाधीन होगी, भले ही ट्रांजैक्शन, दस्तावेजों के निष्पादन और यूनिट का स्थान कोई भी हो।

34. आवेदक इस बात से सहमत हैं कि यूनिट का आबंटन अप्रत्याशित घटना उपबंध के विषयाधीन है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ इस्पात, सीमेंट अथवा अन्य निर्माण सामग्रियों, अथवा जलापूर्ति या विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता अथवा स्लो डाऊन हड़ताल अथवा कंपनी द्वारा नियुक्त निर्माण एजेंसी के साथ विवाद के कारण, जन विक्षोभ, अथवा युद्ध के कारण, अथवा दुश्मन की कार्रवाई अथवा भूकंप अथवा किसी प्राकृतिक घटना के कारण देरी होना, वैधानिक संस्था से कुछेक निर्णयों/स्पष्टीकरणों में देरी, अथवा सरकार और/अथवा किसी अन्य सार्वजनिक अथवा सक्षम प्राधिकारी के किसी नोटिस, आदेश, नियमों अथवा अधिसूचना अथवा कंपनी के नियंत्रण से बाहर के किसी अन्य कारण से होने वाली देरी शामिल है और उपरोक्त किसी भी परिस्थिति में कंपनी अप्रत्याशित घटनाक्रमों के कारण उक्त परिसरों का कब्जा प्रदान करने के समय में न्यायोचित तत्स्थानी विस्तार करने की हकदार होगी। यह यूनिट उत्तर प्रदेश सरकार की हाई–टैक नीति के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित हाई–टैक टाऊनशिप परियोजनाओं का हिस्सा है और कंपनी द्वारा इस विश्वास के साथ आबंटित की जा रही है कि सरकार द्वारा यथा निर्धारित सभी नियमों और नीतियों की अनुपालना की गई है। हालांकि यदि बाद के चरण में परियाजना के दर्जे पर सरकार/अदालत की किसी कार्रवाई, निर्देशों अथवा आदेशों के कारण विपरीत प्रभाव होता है जिससे इस यूनिट के स्वत्व पर भी विपरीत प्रभाव हो सकता है, तो कंपनी आवेदक (ों) को किसी क्षति के लिये भुगतान नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा जमा की गई राशि को उसे डेवलपर कंपनी द्वारा बचत बैंक खाता के लिये देय बैंक दरों के अनुरूप बिना ब्याज के रिफंड कर दिया जायेगा।

कंपनी के पास ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप आबंटन की शर्तों और निबंधन में बदलाव या परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है अथवा कंपनी के नियंत्रण से बाहर की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो कंपनी ऐसी अवधि, जिसे वह समीचीन मानती है, के लिये योजना को निलंबित कर सकती है और देरी की अवधि/योजना के निलंबन के लिये आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा सकता है।

कंपनी द्वारा योजना को बंद किये जाने के फलस्वरूप, कंपनी की जिम्मेदारी बिना किसी ब्याज अथवा प्रतिपूर्ति से, जो भी हो, आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि के रिफंड तक सीमित होगी।

मैंने/हमने ऊपर वर्णित शर्तें एवं निबंधन को पूरी तरह पढ़/समझ लिया है और मैं/हम इनके अनुपालन के लिये सहमत हूं/हैं।

1________________________	1________________________
2.________________________	2.________________________
आवेदक का नाम	**आवेदक के हस्ताक्षर**

गवाह:1. ____________________　　　　**2. ________________________**

स्थान ....

तिथि ....

SUNCITY anantam
THE HI-TECH CITY • VRINDAVAN

साईट ऑफिसः

सनसिटी अनंतम

सिचुऐटेड आपोजिट पुलिस स्टेशन – जैत तहसील, नियर पेट्रोल पम्प,
नेशनल हाईवे–2, वृन्दावन–281402, जिला मथुरा, यू. पी.
फोन : 86509 99400 | www.suncityanantam.com

Developer:

SUNCITY HI-TECH PROJECTS
creating spaces that live

रजिस्ट्रड ऑफिसः

एलजीएफ–10, वसंत स्क्वायरए
प्लाट–ए, सेक्टर. बी., पॉकेट–V सामुदायिक केंद्र
वसन्त कुंज, नई दिल्ली–110070 (भारत)
टोल फ्री नंबर रु 1800 120 2016

कॉर्पोरेट ऑफिसः

सनसिटी बिज़नेस टॉवर,
द्वितीय तल, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर–54,
गुरूग्राम –122002, हरियाणा.
फोन : 0124-4691000

info@suncityprojects.com
www.suncityprojects.com